सिफारिशें

प्रत्येक *रिपोर्ट* की अपनी निश्चित सिफारिशें होती हैं।
विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान और शासन में नैतिकता के संबंध में 2019 की एक आईएनएसए पुस्तक से लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित सिफारिशें नीचे प्रस्तुत की गई हैं

समानुक्रमित सिफारिशें (पीपी 126-127):

1. लैंगिक समानता प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान के मूल मूल्यों का हिस्सा होना चाहिए।
2. इसे स्वीकार करना चाहिए कि व्यवहार्य और सहकारी शैक्षणिक समुदायों के निर्माण में सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
3. सदस्यों को दिए जाने वाले नैतिक प्रशिक्षण में दोनों लिंगों के सदस्यों का लिंग संवेदनशीलता संबंधी प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए। संगठन द्वारा महिलाओं के लिए कार्य ग्रहण के समय एक अनुकूलन प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो उन्हें आईसीसी के अस्तित्व और कार्यस्थल में उनके अधिकारों से अवगत कराएगी।
4. साक्षात्कार और चयन समितियों के साथ-साथ परियोजना पर्यवेक्षकों को लैंगिक पूर्वाग्रहों के बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
5. कार्यस्थल में यौन कदाचार के साथ-साथ लिंग आधारित उत्पीड़न को अकादमिक कदाचार माना जाना चाहिए।
6. वातावरण को महिलाओं के अनुकूल और सुरक्षित बनाने और लिंग-समानता का वातावरण सृजित करने के लिए सुलभ, वहनीय और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को एक महत्वपूर्ण घटक माना जाना चाहिए।
7. संगठनों को महिलाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए परिसर में आवास, बच्चों की देखभाल और अन्य सेवाओं, लाउंज सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, और मातृत्व और बच्चे की देखभाल की जरूरतों को सुविधाजनक बनाने के लिए लचीली कार्य अवधि प्रदान करनी चाहिए।
8. जरूरी है कि प्रत्येक संगठन एक वार्षिक जेंडर-ऑडिट करे। बेहतर होगा कि इस तरह की रिपोर्ट को वेब पेज पर डाला जाए।
9. इसी तरह, बहिष्करण तंत्र कार्यविधि को प्रकट करने के लिए महिलाओं की ड्रॉप-आउट दरों के आंकड़े लिए जाने चाहिए।
10. अनुसंधान और प्रशासन दोनों में चयन/मूल्यांकन समितियों और निर्णय लेने वाले निकायों में महिला शिक्षाविदों के लिए अनिवार्य पद होने चाहिए। उन्हें नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
11. फंडिंग एजेंसियों को अनेकता को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता संबंधी प्रगति की निगरानी के लिए कार्यशालाओं और अन्य गतिविधियों का समर्थन करते रहना चाहिए।
12. विनियामक कार्रवाई के संदर्भ में, लिंग पूर्वाग्रह और उत्पीड़न के बारे में शिकायतों की जांच संबंधित संस्थान की आचारनीति समिति द्वारा की जानी चाहिए और त्वरित और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।